

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
(राजभाषा)

प्रेषक,

अखिलेश कुमार सिंह, भा0प्र0से0
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द्र पटेल पथ,
पटना।

पटना, दिनांक-.....

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (राजभाषा) के मांग संख्या-04 के राज्य स्कीम के बजट शीर्ष 2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-राज्य स्कीम-090-सचिवालय-0101-राजभाषा के अंतर्गत कुल ₹3,25,00,000/- (तीन करोड़ पच्चीस लाख रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

2. राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 में राज्य की राजभाषा हिन्दी के समुचित विकास, प्रचार-प्रसार के निमित्त बजट शीर्ष 2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-राज्य स्कीम-090-सचिवालय-0101-राजभाषा के अंतर्गत विपत्र कोड-04-2052000900101 के अधीन कुल ₹3,25,00,000/- (तीन करोड़ पच्चीस लाख) रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

विषय शीर्ष	योजना क्र० सं०	प्रयोजन	उद्ब्यय (लाख में)	स्वीकृत राशि (लाख में)
0501 'पुरस्कार'	1	हिन्दी सेवी सम्मान एवं पुरस्कार योजना - इस योजना के अन्तर्गत अखिल भारतीय स्तर पर वरिष्ठ हिन्दी सेवियों को सम्मानित/पुरस्कृत किया जाता है। ये पुरस्कार सृजनात्मक लेखन पत्रकारिता, न्याय, प्रशासन या हिन्दी के प्रचार-प्रसार के क्षेत्र में विशिष्टतम योगदान हेतु दिये जाते हैं।	39.00	39.00
	2	विधावार नामित पुरस्कार (हिन्दी) की योजना - इस योजना के अन्तर्गत हिन्दी में लिखित विभिन्न विषयों और विधाओं की मौलिक तथा अनूदित पुस्तकों पर पुरस्कार दिये जाते हैं।	3.10	3.10
	3	राजभाषा हिन्दी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सरकारी सेवक प्रोत्साहन पुरस्कार की योजना।	12.40	12.40
1601 'प्रकाशन एवं मुद्रण'	4	हिन्दी पांडुलिपि प्रकाशन अनुदान का स्कीम - इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा चयनित हिन्दी पांडुलिपियों के प्रकाशन हेतु अनुदान राशि दी जाती है।	25.00	25.00

मन्त्रि

2601 'विज्ञापन और प्रकाशन'	5	राजभाषा हिन्दी के विकास एवं प्रचार-प्रसार हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन - इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सेमिनार/कवि-गोष्ठी आदि का आयोजन किया जाता है। आमंत्रित विद्वानों के मार्ग-व्यय एवं आवासन और भोजन, मोनेन्टों, हॉल आरक्षण पर राशि व्यय की जाती है। राजभाषा हिन्दी के शोध, विकास-विस्तार एवं विचार विनिमय हेतु विभिन्न राज्यों का विभागीय पदाधिकारियों द्वारा भ्रमण पर होने वाला व्यय।	68.50	68.50
	6	हिन्दी के ख्यातिलब्ध साहित्यकारों की जन्म तिथि एवं पुण्य तिथि का आयोजन।	70.00	70.00
	7	राजभाषा विभाग द्वारा महत्त्वपूर्ण पुस्तकों, पत्रिकाओं एवं अन्य साहित्य का प्रकाशन।	20.00	20.00
	8	पुस्तकालय व्यवस्था के अंतर्गत पुस्तकों एवं उपस्कर की खरीद।	15.00	15.00
	9	हिन्दी पुरस्कार-वितरण समारोह का आयोजन-इस आयोजन के अन्तर्गत हॉल-आरक्षण, ताम्रपत्र का निर्माण, बुकलेट-प्रकाशन, अतिथियों का यात्रा-भत्ता एवं आवासन और भोजन पर व्यय किया जाता है।	20.00	20.00
	10	राज्य के अनुसूचित जाति के कल्याणार्थ विशेष अंगीभूत योजना (राजभाषा के विकास पर आधारित) - इस योजना के अन्तर्गत बिहार की अनुसूचित जातियों की नई पीढ़ी में राजभाषा के प्रति अनुराग उत्पन्न करने तथा उनकी सृजनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को जिला-स्तर पर प्रतियोगिता के आधार पर पुरस्कृत करना है।	52.00	52.00
निकासी एवं व्यय के लिए कुल स्वीकृत राशि			325.00	325.00

3. उक्त योजनाओं पर होने वाला व्यय मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (राजभाषा) की वार्षिक योजना 2026-27 के अंतर्गत बजट शीर्ष 2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-राज्य स्कीम-090-सचिवालय-0101-राजभाषा विपत्र कोड-04-2052000900101 के अधीन उपबंधित राशि से विकलीनय होगा।

4. यह राज्यादेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या-2199, दिनांक-24.03.2017 के आलोक में सक्षम प्राधिकार से अनुमोदनोपरांत निर्गत किया जाता है। अनुमोदन संबंधी संचिका रा.यो.-01/2018 के पु./टि. की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न है।

5. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, निदेशक होंगे।

6. राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जाएगी।

7. वित्त विभाग के पत्रांक-7355/वि0 (2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

अनु0:-यथोक्त।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-
(अखिलेश कुमार सिंह)
अपर सचिव

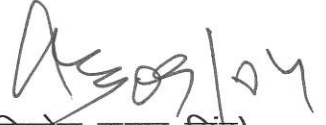
ज्ञाप संख्या—...../रा0, पटना, दिनांक—.....

प्रतिलिपि:— कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए दी जाती है।

ह०/—
(अखिलेश कुमार सिंह)
अपर सचिव

ज्ञाप संख्या—.....०१...../रा0, पटना, दिनांक—.....13-4-26.....

प्रतिलिपि:— लेखा प्रशाखा (तीन प्रतियों में)/पुरस्कार व पांडुलिपि, प्रचार-प्रसार तथा प्रकाशन प्रशाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु दी जाती है। प्रोग्रामर, अभिलेखागार निदेशालय को राजभाषा के Website पर upload हेतु दी जाती है।


(अखिलेश कुमार सिंह)
अपर सचिव